प्रेस विज्ञप्ति
14.11.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने राजेंद्र नरपतमल लोढ़ा और अन्य के खिलाफ चल रही जाँच के तहत, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 12.11.2025 को मुंबई क्षेत्र में 14 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, नकदी, बैंक बैलेंस और सावधि जमा के रूप में 59 करोड़ रुपये (लगभग) की चल संपत्ति, साथ ही कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण और कई करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति का विवरण ज़ब्त/फ्रीज किया गया।

ईडी ने राजेंद्र नरपतमल लोढ़ा और अन्य के खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा बीएनएस 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, आधिकारिक पद का दुरुपयोग, संपत्ति की अनधिकृत बिक्री और झूठे दस्तावेज तैयार करने के लिए मेसर्स लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड (एक सार्वजनिक सूचीबद्ध इकाई) को 100 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान पहुंचाने के लिए दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला है कि राजेंद्र नरपतमल लोढ़ा, निदेशक मंडल की स्वीकृति के बिना, कंपनी के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों को कम मूल्य पर प्रॉक्सी संस्थाओं और उससे जुड़े व्यक्तियों को अनधिकृत रूप से बेचकर और हस्तांतरित करके मेसर्स लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड (मेसर्स एलडीएल) के धन और परिसंपत्तियों को डायवर्ट/हेप्ट करने में शामिल थे। वह बढ़ी हुई कीमतों पर भूमि खरीद के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) तैयार करने में भी शामिल थे, और बाद में विक्रेताओं के माध्यम से बढ़ी हुई राशि को नकदी के रूप में निकालकर कंपनी के धन का दुरुपयोग किया। जाँच से पता चलता है कि राजेंद्र लोढ़ा ने अपने संबंधित व्यक्तियों, सहयोगियों और संस्थाओं के साथ मिलकर इन धोखाधड़ी गतिविधियों के माध्यम से संपत्ति अर्जित की, जिससे मेसर्स लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड को गलत तरीके से नुकसान हुआ।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।